प्रेस प्रकाशनी

04.08.2022

इस्पात मंत्रालय से संबंधित "इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास" विषयक स्थायी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के सभापति तथा संसद सदस्य, श्री राकेश सिंह ने 4 अगस्त, 2022 को इस्पात मंत्रालय से संबंधित "इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास" विषयक समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट कुछेक महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	सिफ़ारिश सं.	सिफ़ारिश का सार
1.	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी एम के वी वाई)- जोकि एमएसडीई का एक प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम है, की सराहना करते हुये, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं जायें।	**स्किल इंडिया मिशन के तहत, एमएसडीई अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) हेतु अपनी अग्रणी योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी एम के वी वाई) को कार्यान्वित कर रहा है, । इस्पात क्षेत्र की जरूरतों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लौह और इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद (आईआईएसएसएससी) सहित विभिन्न 37 क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण/प्रबोधन प्रदान किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि आरपीएल प्लेसमेंट से जुड़ा नहीं है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को प्रमाणित है। समिति एमएसडीई के प्रमुख पीएमकेवीवाई कार्यक्रम और लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव की सराहना करती है।**

		समिति इस तथ्य को स्वीकार करती है कि पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना संभव नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि यह योजना कौशल उन्नयन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन सकती है अतः इसके तहत प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे कुशल श्रमिक बन सकते हैं
2.	इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कर्मचारियों को आरपीएल (पूर्व शिक्षण की मान्यता) प्रशिक्षण का लाभ देने के लिए कहा।	**समिति पाती है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) कर्मचारियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि इन हाउस कौशल विकास प्रमुख पहलों के माध्यम से उनकी क्षमता को कार्यनिष्पादन की मानक स्थिति तक बढ़ाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 196 कर्मचारियों को महत्वपूर्ण कौशल, 612 कर्मचारियों को बहु कौशल प्रशिक्षण, 1201 इंजीनियरिंग कौशल बढ़ाने और 175 यूनिट प्रशिक्षण के अलावा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित किया गया। केवल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) कर्मचारियों को आरपीएल (पूर्व शिक्षण की मान्यता) के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। अपने कर्मचारियों को घरेलू प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए समिति ने यह भी पाया कि सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों जैसे एनएमडीसी लिमिटेड, आरआईएनएल, एमओआईएल लिमिटेड आदि के कर्मचारियों को आरपीएल प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। स्किल इंडिया मिशन और देश को 'आत्मनिर्भर' बनाने की पहल के दृष्टिगत समिति का मानना है कि आरपीएल प्रशिक्षण का लाभ सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात उपक्रमों के लिए भी इसी तरह की नीति बनाए तथा उन्हें इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।**
3.	उत्पादकता बढ़ाने के लिए आरआईएनएल ने अपने कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण देने के लिए कहा।	**समिति ने यह पाया कि यद्यपि आरआईएनएल आजीविका सृजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास प्रशिक्षण, विस्थापित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आदि विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण दे रहा है, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कौशल विकास या अपनी जनशक्ति का कौशल उन्नयन के लिए आंतरिक प्रशिक्षण देने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए समिति पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऐसे प्रशिक्षणों से अवगत होना चाहती है और यह सिफारिश करती है कि आरआईएनएल को अपने कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उनकी विशेषज्ञता बढ़ाने**

		पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो न केवल आरआईएनएल की उत्पादकता में वृद्धि करेगा बल्कि इसे अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के बराबर भी लाएगा । इसलिए समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों से अवगत होना चाहती है।
4.	समिति ने सिफारिश की कि इस्पात मंत्रालय को कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा कंपनी कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके सीएसआर नीति को एक नई गति प्रदान करनी चाहिए।	**समिति सिफारिश करती है कि इस्पात मंत्रालय को कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा कंपनी कार्य मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करके सीएसआर नीति को एक नई गति प्रदान करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कंपनियां स्थानीय युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में निधियां आवंटित करें और यह भी देखें कि इन निधियों का पूरा उपयोग किया जाए।**
5.	इस्पात मंत्रालय ने ग्रीन स्टील प्रौद्योगिकियों के उत्पादन हेतु इस्पात कंपनियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा।	**समिति यह सिफारिश करती है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी और उपस्करों का उपयोग करके भविष्य में ग्रीन स्टील के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक और निजी, दोनों, क्षेत्रों में इस्पात विनिर्माण इकाइयों के कर्मचारियों के तकनीकी कौशल के उन्नयन को सुविधाजनक बनाया जाए। इस संबंध में उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।**